... मिसल Super impose करने पर खसरा नम्बर 971/68, 972/68 सम्वत् 2006 के खसरा नम्बर 23, 26 का हिस्सा आया हुआ है एवं खसरा नम्बर 68 में पुराने खसरा नम्बर 26 का हिस्सा आया हुआ है। इस प्रकार वर्तमान खसरा नम्बर 68 रकबा 11.12 बीघा में पुराना खसरा नम्बर 23 का हिस्सा नहीं आया हुआ है। खसरा नम्बर 68 में केवल खसरा नम्बर 26 का ही हिस्सा आया हुआ है जो अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। सम्वत् 2006 के खसरा नम्बर 26 की किस्म बारानी है। Super impose करने से खसरा नम्बर 68 जो पुराना खसरा नम्बर 23 का भाग नहीं है। इस प्रकार खसरा नम्बर 68 अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं होता है कि रिपोर्ट है जिससे स्पष्ट होता है कि वर्तमान खसरा नम्बर 68, 971/68, 972/68 का मूल खसरा नम्बर 68 सम्वत् 2006 के खसरा नम्बर 23, .25. व 26 को मर्ज करके बनाया गया था खसरा नम्बर 23 कि किस्म गै.मु. अंगौर व खसरा नम्बर 25 कि किस्म गै.मु. गोवा एंव खसरा नम्बर 26 की किस्म बारानी है। ग्राम बरनेल के वर्तमान खसरा नम्बर 68 में पुराने खसरा नम्बर 26 का हिस्सा आया हुआ है जिसकी किस्म बारानी है एवं इस खसरे में पुराने खसरा नम्बर 23 का भाग नहीं है जिससे खसरा नम्बर 68 अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। प्रथम दृष्टयां उक्त प्रकरण भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा एल.आर.एक्ट 136 में श्रवण योग्य एवं क्षेत्राधिकार का पाया जाता है। अतः माफिक रिपोर्ट तहसीलदार जायल प्रकरण हाजा अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रथम दृष्टया स्वीकार जाकर मौजा बरनले के खेत खसरा नम्बर 68 रकबा 11.12 बीघा की जमाबंदी में लगा नोट अब्दुल रहमान प्रकरण से संबंधित हटाया जाना उचित प्रतित होता है।

## — : : आदेश : : —

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि **मौजा बरनेल के खाता संख्या 384 खसरा नम्बर 68 रकबा 11.12 बीघा की जमाबंदी में से अब्दुल रहमान प्रकरण से संबंधित का नोट हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना से अवगत करावे।** माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर तहसीलदार जायल के नाम जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 16·06·23 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner